

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

कमांक प.7(86) CM/HM/Budget/चिशिनि./2015/659 दिनांक:- 17/2/2016

प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक
मेडिकल कॉलेज जयपुर/अजमेर /कोटा/
उदयपुर/बीकानेर/जोधपुर/झालावाड/
आर.यू.एच.एस. कॉलेज ऑफ मेडिकल साइन्सेस


कुल सचिव,
राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय
जयपुर।

संयोजक
डी.एम. एम.सी.एच.-2016
प्रवेश परीक्षा बोर्ड

विषय:- पी.जी. (एम.डी./एम.एस.) एवं डी.एम./एम.सी.एच. के बॉण्ड राशि 25 लाख रुपये करने के संबंध में।


संदर्भ:- इस विभाग के पत्र कमांक No.:F7(86)/CM /HM /Budget/ DME/ Acad/ 2015 /3159 दिनांक 7.8.2015 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र द्वारा वर्ष 2015 से पी.जी. (एम.डी./एम.एस.) एवं डी.एम./एम.सी.एच. में चयनित नॉन सर्विस विद्यार्थियों से डी.एम./एम.सी.एच. कोर्स की बॉण्ड राशि 15 लाख रुपये लिया जाना निर्धारित किया गया था। जिसके स्थान पर वर्ष 2016 से पी.जी. (एम.डी./एम.एस.) एवं डी.एम./एम.सी.एच. में चयनित नॉन सर्विस विद्यार्थियों से पी.जी. (एम.डी./एम.एस.) एवं डी.एम./एम.सी.एच. कोर्स की बॉण्ड राशि 25 लाख रुपये लिया जाना तुरन्त प्रभाव से लागू किया जाता है। शेष यथावत रहेगा। यह उच्च स्तर पर अनुमोदित है।


विशिष्ट शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवयस्क कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय स्वास्थ्य मंत्री राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर।
4. निदेशक (जनस्वास्थ्य), निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जयपुर।


विशिष्ट शासन सचिव